

(लोक सभा द्वारा 29.11.2021 को पारित रूप में)

2021 का विधेयक संख्यांक 143-सी

[दि फार्म लॉज रिपील बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निरसन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषि विधि निरसन अधिनियम, 2021 है ।
2. कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निरसन किया जाता है ।
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1क) का लोप किया जाएगा ।

संक्षिप्त नाम ।

2020 के अधिनियम सं. 20, 2020 के अधिनियम सं. 21 और 2020 के अधिनियम सं. 22 का निरसन ।

1955 के अधिनियम सं. 10 का संशोधन ।